मध्यप्रदेश में बाघ के पुनर्वास की पुनर्खोज

- घनश्याम सक्सेना

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि ऑक्सीजन समेत वनों से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं-सुविधाओं का आर्थिक आकलन किया जाना चाहिये। अभी तक सामान्यतः वनों के प्रत्यक्ष उत्पादन यानी इमारती काष्ठ, जलावन, वनोपज इत्यादि की ही कीमत आंकी जाती है। किन्तु वनों का पर्यावरणीय योगदान इससे भी कहीं अधिक है जिसे अभी तक अप्रत्यक्ष कहा जाता था। यह योगदान भूमि और जल संरक्षण के अलावा वन्य प्राणी संरक्षण सहित जैव विविधता-संरक्षण तथा कार्बन सोख कर ऑक्सीजन देने के संदर्भ में है।

इस प्रसंग में मध्यप्रदेश में बाघ-संरक्षण क्षेत्रों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अभी हाल ही में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने विभिन्न प्रदेशों में वन विषयक जो आंकड़े जारी किये हैं उनके अनुसार प्रदेश में सघन वनों में वृद्धि हुई है जबकि बिरले वनों में कहीं-कहीं कमी हुई है। संतोष और गर्व की बात यह है कि ताज़ी बाघ-गणना में मध्यप्रदेश में 526 बाघ गिने गये हैं जो किसी भी अन्य प्रदेश की तुलना में सर्वाधिक है। बताते चलें कि पूर्व में देश की कुल बाघ-संख्या 1800 की तुलना में इस प्रदेश में 425 बाघ थे जिसके कारण मध्यप्रदेश को टाइगर-स्टेट की उपाधि मिली थी। लेकिन 2014 की गणना में 308 बाघ ही निकले और हम कर्नाटक से पिछड़ गये। सन् 2018 की ताज़ा गणना में जहां देश में कुल 2967 बाघ निकले वहीं मध्यप्रदेश में इनकी संख्या (526) में लगभग सैंतीस प्रतिशत वृद्धि के कारण यह प्रदेश पुनः टाइगर स्टेट बन गया है।

वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सदैव से अग्रगण्य रहा है। हमारे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच राष्ट्रीय उद्यान देश के सर्वोत्कृष्ठ संरक्षित क्षेत्रों में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जहां इस सदी के प्रारंभ में बाघ लगभग समाप्त हो गये थे, एक दशक की अवधि में इनका पुनर्वास हो गया है और इनकी संख्या 50-55 के बीच बताई जाती है। अभी हाल ही में भोपाल में जो लिटरेचर एण्ड आर्ट फेस्टिवल (बी.एल.एफ.) हुआ था उसमें बाघ के पुनर्वास की पुनर्खोज की गई। पूर्व-केन्द्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश ने बताया कि देश के पर्यावरण की रक्षा करने वाले चार क़ानून स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है- ये हैं वाइल्ड लाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 और फॉरेस्ट कंज़रवेशन एक्ट 1980।

मेरे लिये व्यक्तिगत रूप से बी.एल.एफ. दो ऐसे विशेषज्ञों से रियूनियन का अवसर था जिन्हें मैंने किशोर के रूप में चालीस-पचास वर्ष पहले देखा था और जो आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वन्यजीव विशेषज्ञ बन चुके हैं। ये हैं राकेश बेदी और नरेश बेदी तथा अनेक पुस्तकों के लेखक और बाघरहित पन्ना की ओर पहली बार ध्यान आकर्षित करने वाले रघुनंदन सिंह चून्दावत। मेरा संबंध वेदी-बंधुओं तथा रघु के पिताश्री से था। वेदी-बंधुओं के पिता स्व. रमेश वेदी अपने समय के एकमात्र वन्यजीवन-छविकार थे जबकि रघु के पिता स्व. ठाकुर दीपसिंह दक्षिण मंडला में वन मंडलाधिकारी थे और कान्हा उन्हीं के तहत आता था।

साठ के दशक में जब पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैसे शब्द चलन में भी नहीं आये थे तब रमेश वेदी इन विषयों पर न केवल लिखने लगे थे बल्कि वन्य जीवन के इने-गिने छविकारों में भी थे। वे, मध्यप्रदेश वन विभाग की पत्रिका वनश्री में नियमित लिखते रहते थे जो साठ के दशक में इस विषय की एकमात्र हिन्दी पत्रिका थी। उनके लेखन और छायांकन से प्रभावित होकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वनमंत्री स्व. वसंतरावजी उयके ने निर्देशित किया था कि वनश्री की संबंधित प्रतियां देश के सभी प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं को भेजी जावें। इसके बाद तो रमेश वेदी के चित्र और लेख इलस्टेड वीकली, धर्मयुग और साप्ताहिक हिन्दुस्तान जैसी पत्रिकाओं में धड़ल्ले से छपने लगे।

मध्यप्रदेश सरकार ने रमेश वेदी को उनके लेखन के लिये सन् 1964-65 में पुरस्कृत भी किया था। उन दिनों मध्यप्रदेश संदेश मात्र पंद्रह रुपये का पारिश्रमिक देता था। वनश्री में तो पारिश्रमिक का प्रावधान ही नहीं था। मैं उसका संपादक था। राजेश वेदी सत्तर के दशक के प्रारंभ में इंटर की परीक्षा देने भोपाल आये थे और मेरे साथ रुके थे। पचास साल बाद उन्हें एक ऐसे स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्राणीविद् के रूप में देखना जिसे डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफ़िक, एनिमल प्लानेट जैसे चैनलों ने प्रमुखता दी हो, निश्चय ही रोमांचकारी था।

चि. रघु के पिता स्व. ठाकुर दीपसिंह साठ-सत्तर के दशक के जाने-माने वन्य जीवन-संरक्षक थे। वे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रारंभिक निर्माताओं में से थे। ठाकुर साहब ने वाइल्ड लाइफ़ की कोई औपचारिक ट्रेनिंग भले ही न

ली हो लेकिन एक ऐसे वन अधिकारी के नाते जो जंगल की भाषा और भाव को बखूबी समझता हो, वे तो जन्मजात वन्यजीवनविद् थे। मैं, सन् 1962 की गर्मियों में कान्हा में उनके साथ था। तभी एक बाघिन के प्रसव का समाचार मिला। ठाकुर साहब ने 'वन्यप्राणियों के अभिभावक' के नाते आदेश दिया जाय कि उस जच्चा-बाघिन के पास एक जंगली सुअर खदेड़कर पहुंचा दिया क्योंकि जचकी के बाद पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है। वह पीढ़ी कॉमनसेन्स की विशेषज्ञ थी। एक दिन उन्होंने विनोद में कहा था कि बाघ के शौर्य और शक्ति का रहस्य है - ऑल प्रोटीन: नो निकोटीन। उनके पुत्र रघु फुलटाइम वन्यजीवनविद् हैं। उनकी डॉक्युमेन्ट्री फिल्म टाइगर्स ऑफ़ द इमेराल्ड फॉरेस्ट ने बी.बी.सी. पर पन्ना के बाघों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला दिया। उनकी ताज़ा किताब द राइज़ एंड फॉल ऑफ़ इमेराल्ड टाइगर्स, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में उनकी दस साल की रिसर्च का दस्तावेज़ीकरण है जिसमें बाघ का वैज्ञानिक और शास्त्रीय अध्ययन किया गया है। लिट्रेचर फ़ेस्टिवल में उनसे इस पुस्तक पर खासी चर्चा अभिलाष खांडेकर और देशदीप सक्सेना ने की थी।

सन् 2003 से 2018 तक का कालखंड मध्यप्रदेश में पर्यावरण की दृष्टि से शोचनीय रहा। केन्द्र के हस्तक्षेप के बाद ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का बफ़र ज़ोन घोषित हो पाया। वहां खनिज लॉबी का प्रभाव था। शताब्दी के प्रारंभ में जब रघु ने पन्ना में बाघ की समाप्ति की सूचना दी तो उनकी किसी ने नहीं सुनी। पन्ना तो बाघ विहीन हो गया। रातापानी अभ्यारण्य को भी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण टाइगर रिज़र्व घोषित नहीं किया जा सका यद्यपि नेशनल टाइगर कंज़रवेशन अथॉरिटी ने बारंबार निर्देशित किया। मगर मध्यप्रदेश के तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) हरभजन सिंह पाबला ने पन्ना में बाघों के पुनर्वास का बीड़ा उठाया। उन्होंने बांधवगढ़ और कान्हा से दो मादा बाघिनें (टी-1 और टी-2) पन्ना भेजीं और पेंच से एक नर बाघ (टी-3) भी भेजा। पन्ना के तत्कालीन-संचालक आर. श्रीनिवास मूर्ति ने बाघ के पुनर्वास में गहरी रूचि ली। बताते हैं कि दिसंबर 2009 तक वहां लगभग ढाई दर्जन बच्चे हो चुके थे। बीच में जब यही नरबाघ घर वापसी की मनोवृत्ति के तहत पन्ना से पेंच की तरफ़ फ़रार होने लगा तो 2005 में इसे खदेड़कर पुनः पन्ना लाया गया। अभी हाल ही में श्रीनिवास मूर्ति और उनके साथियों ने इस बाघ की फ़रारी और वापसी के दशक का जश्न मनाने के लिये उसी रास्ते पर टेकिंग की।

पाबला ने सक्रिय वन्यप्राणी प्रबंधन की अवधारणा को अमली जामा पहनाया। उनकी थ्योरी थी कि जो वन्यप्राणी किसी क्षेत्र से समाप्त हो गये हैं उनका वहीं पुनर्वास किया जाना चाहिये। इसी सिद्धांत के तहत उन्होंने बांधवगढ़ में कान्हा से लाकर बायसन (गौर) का और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बारासिंघे का पुनर्वास किया। याद रहे कि कान्हा में ये वन्यप्राणी उसकी धारण-क्षमता से अधिक हो गये थे। कान्हा में काले हिरणों की संख्या में भी इसी प्रकार वृद्धि की गई थी। ये प्रयोग अत्यंत सफ़ल रहे हैं। अब सफ़ेद बाघ के पुनर्वास के प्रयत्न भी जारी हैं। ऐसे सक्रिय वन्यप्राणी प्रबंधन का विस्तार किया जाना चाहिये। यद्यपि मध्यप्रदेश में बाघ-संरक्षण एक कामयाब मॉडल है लेकिन देश के समग्र परिदृश्य से संरक्षण-लॉबी संतुष्ट नहीं है। अवैध शिकार अभी भी एक जटिल समस्या है। लिट्रेचर फ़ेस्टिवल में देशदीप सक्सेना-लिखित पुस्तक ब्रेथलैस: हंटेड एंड हाउन्डेड टाइगर रन्स फॉर इट्स लाइफ़ का विमोचन मुख्यमंत्रीजी ने किया जिसमें पोचिंग की समस्या की विस्तृत विवेचना की गई है।

अंत में सुप्रीमकोर्ट के उस कथन की चर्चा कर ली जाय जिसमें वन-विनाश से होने वाली पर्यावरणीय हानियों के आर्थिक आकलन का सुझाव है। खाद्य-श्रृंखला (फुड चेन) के शीर्ष पर होने के कारण बाघ एक छत्र-प्रजाति (अम्बरेला स्पीशीज़) है। उसके संरक्षण से उस प्राकृतिक रहवास का समग्र संरक्षण स्वयमेव हो जाता है जिस पर जैविक विविधता निर्भर करती है। पारिस्थितिक प्रक्रिया को सततता और स्थायित्व मिलता है। सन् 2015 में सेन्टर फॉर इकॉलॉजिकल सर्विसेज़ मेनेजमेंट एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मेनेजमेंट भोपाल के तत्वावधान में प्रो. मधु वर्मा तथा उनके साथियों ने एक अध्ययन करके बाघ-संरक्षण पर प्राइस टेग लगाया। उनका 256-पृष्ठीय अध्ययन इकॉनॉमिक वेल्यूएशन ऑफ टाइगर रिज़र्वस इन इंडिया: ए वेल्यू - एप्रोच शीर्षक से जारी हुआ।

यहां केवल उन पर्यावरणीय सेवाओं के आर्थिक-आकलन का मिसाल और मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ-संरक्षण के संदर्भ में बताई गई है। उल्लेखनीय है कि 2051 वर्ग कि.मी. में पसरा कान्हा (917 व.कि.मी. कोर एरिया और 1134 व.कि.मी. बफ़र एरिया) मंडला, बालाघाट और डिंडोरी के जंगलों को समेटे हैं जो साल के अतिरिक्त विभिन्न प्रजातियों के हैं। कान्हा में बाघ-संरक्षण से जो लाभ होते हैं उनका वार्षिक मूल्य निम्नानुसार आंका गया है: जीन पूल प्रोटेक्शन 12.41 अरब रुपये, प्रोविज़न ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम रीज़न 5.58 अरब, बफ़र एरिया से चारा 5.46 अरब, वन्यजीवन अवलोकन से मनोरंजन 3.84 अरब, रहवास और वन्यप्राणी प्रबंधन 3.19 अरब, कार्बन सोखना 2.19 अरब अर्थात् कुल 32.67 अरब की सेवायें (ईको सिस्टम

सर्विसेज़) केवल कान्हा में बाघ-संरक्षण से मिलती हैं। मिसाल के तौर पर जलसंरक्षण के परिणामस्वरूप नर्मदा और महानदी के बीच का वाटर शेड सक्रिय रहता है, नर्मदा केचमेन्ट सुरक्षित है। खुद कान्हा में हालोन, बंजर, सुलक्र आदि जलधारायें सक्रिय बनी रहती हैं। भूमि, जल और वायु संरक्षण आज के क्लाइमेट-चेन्ज के संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान हैं। मिट्टी हमारी मां है। जल जीवन दाता है। प्राणवायु के बिना जीवन संभव नहीं है।

(प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।